सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 148/2024 दिनांक- 07.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

शादी का झांसा देकर रूपये लेने वाला जालसाज गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 14.01.2024 को वादी मुकदमा मोतीलाल पुत्र रामबृक्ष चौहान निवासी ग्राम अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अमरजीत चौहान पुत्र हवलदार चौहान निवासी ग्राम डोहरा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर द्वारा अपने आप को भारतीय स्टेट बैंक मे पीओ के पद पर कार्य करने एवं हीरो मोटर साइकिल के एजेन्सी का मालिक होने की बात बताकर वादिनी की पुत्री से शादी करने का झांसा देकर वादी मुकदमा से भिन्न भिन्न तिथियों पर लगभग 12,50,000/- रूपया ले लिया एवं मांगने पर नही दिया तथा शादी करने से इन्कार कर दिया के सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 23/2024 धारा 420/406/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसमे गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 419/467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 07.05.2024 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह पुलिस बल के सठियांव चौराहे पर मौजूद थे कि वादी मुकदमा मोतीलाल चौहान पुत्र रामबृक्ष चौहान के द्वारा सूचना दी गयी कि साहब मैने जो मुकदमा पंजीकृत कराया है उससे सम्बन्धित अभियुक्त अमरजीत चौहान पुत्र हवलदार चौहान निवासी ग्राम डोहरा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर हरैया बाजार मे मौजूद है उक्त सूचना पर उ0नि0 अखिलेश चौबे मय हमराह पुलिस बल के हरैया बजारा पहुंचकर वादी मुकदमा के निशांदेही पर अबाड़ी मार्ग से अभियुक्त अमरजीत चौहान पुत्र हवलदार चौहान निवासी ग्राम डोहरा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को समय करीब 10.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद आधार कार्ड, 01 अदद परिचय पत्र भारतीय स्टेट बैंक का बरामद की गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही विवेचक द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-अमरजीत चौहान पुत्र हवलदार चौहान निवासी ग्राम डोहरा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 23/2024 धारा 406/419/420/467/468/471/506 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे, का0 आलोक कुमार, का0 सदानन्द थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

थाना- कोतवाली

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास –

वादिनी मुकदमा थाना कोतवाली आजमगढ़ ने थाना थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी मोनू विश्वकर्मा पुत्र चन्द्रभान विश्वकर्मा निवासी कोठरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र 16 वर्ष को दिनांक- 03.05.2024 को समय करीब 16.00 बजे बहला- फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 264/24 धारा 376 भादवि, 3/ 4 पाक्सो एक्ट, 3(2)वी एससी एसटी एक्ट दिनांक 6.5.24 को पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 7.5.24 को प्र0नि0 शशि मौली पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू विश्वकर्मा पुत्र चन्द्रभान विश्वकर्मा निवासी कोठरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को समय 9.45 बजे हाफिजपुर चौराहे से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 264/24 धारा 376 भादवि, 3/ 4 पाक्सो एक्ट, 3(2)वी एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त- मोनू विश्वकर्मा पुत्र चन्द्रभान विश्वकर्मा निवासी कोठरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय, कां0 दमन पाण्डेय, कां0 नरेन्द्र तिवारी, कां0 सतेन्द्र पाठक, म0कां0 शिल्पा तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- कोतवाली

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

वादिनी मुकदमा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी लुकमान पुत्र स्व0 अफ्फान निवासी ककरहटा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष द्वारा 10 वर्षों से वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारिरीक संबंध बनाता रहा, लुकमान और उसके परिवार वालों ने शादी करने से इन्कार कर दिया उसके घर वालो ने लुकमान को मुम्बई भगा दिया और जान से मारने की धमकी दिये। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 77/24 धारा 376/506 भादवि दर्ज किया गया। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 7.5.24 को प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लुकमान पुत्र स्व0 अफ्फान निवासी ककरहटा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष को समय 08.33 बजे अभियुक्त के घर ग्राम ककरहटा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मुकदमा अपराध संख्या 77/24 धारा 376/506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- लुकमान पुत्र स्व0 अफ्फान निवासी ककरहटा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय, व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर, कां0 दमन पाण्डेय, कां0 नरेन्द्र तिवारी, कां0 सतेन्द्र पाठक, म0कां0 शिल्पा तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- रौनापार

किशोरी के साथ छेड़खानी का अश्लील वीडियों बनाकर वायरल करने वाले फरार अभियुक्तों के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

पीड़िता के नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी करके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 302/2023 धारा 67 आईटी एक्ट बनाम अज्ञात में दौराने विवेचना पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1- नंदलाल चौहान पुत्र हरिकेश चौहान 2- बिगर चौहान पुत्र जीवित चौहान 3- सुमित चौहान पुत्र महेंद्र चौहान 4- ब्लैक चौहान पुत्र बेचू 5- लवही चौहान पुत्र बेचू 6- पप्पू चौहान पुत्र करिया समस्त निवासीगण ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया व मुकदमा उपरोक्त में धारा 354/504/506 भादवि, 7/8 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विवेचना धारा 354/504/506 भादवि, 7/8 पाक्सो एक्ट व 67C आईटी एक्ट में की गई।

➡विवेचना के दौरान अभियुक्तों को घर व मिलने के सम्भावित स्थानों पर बार- बार दविश देने के बावजूद अभियुक्त दस्तेयाब नही हुए जिसके सम्बन्ध में मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा अभियुक्तों को न्यायालय में हाजिर करने के लिए उद्घोषणा (मुनादी) करने का आदेश रौनापार पुलिस को दिया था।

➡मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 05.05.2024 को निरीक्षण अपराध अशोक कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी कार्यालय सगड़ी आजमगढ़ व थाना रौनापार के वरिष्ठ उप निरीक्षक मधुसूदन चौरसिया द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ अभियुक्तों के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा कर गांव में घूम -घूम कर मुनादी कराई गई।

थाना- जीयनपुर

गांजा के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक--07/05/2024 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान कौशिल्या देवी आईटीआई कालेज छपरा सुल्तानपुर के पास एक रामबचन सिंह पुत्र स्व0 हौशिला सिंह निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को 1 किलो 117 ग्राम गांजा के साथ समय करीब 07.33 बजे हिरासत पुलिस लिया गया ।बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0195/2024 धारा 8/20NDPS ACT बनाम रामबचन सिंह पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- रामबचन सिंह पुत्र स्व0 हौशिला सिंह निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 59 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- 1 किलो 117 ग्राम नाजायज गांजा

पंजीकृत अभियोग-

1-1. मु0अ0स0195/2024 धारा 8/20NDPS ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 37/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जीयनपुर आजमगढ़

2.मु0अ0स0 668/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़